रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1816] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931

No. 1816] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

का.आ. 2824(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था ।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था ।

और यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था ।

और यतः, असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :—

(i) असम राज्य में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भूमिगत संगठनों द्वारा की गई हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है ।

(ii) अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2009 की अवधि के दौरान ये भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 225 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 18 सुरक्षा कार्मिकों सहित 88 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

(iii) उपर्युक्त संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं ।

(iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलांग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सक्रिय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के गुट असम-अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली की गतिविधियों में भी संलिप्त हैं । इन संगठनों द्वारा जिनको जबरन धन वसूली का लक्ष्य बनाया जाता है उनमें व्यावसायिक वर्ग, स्थानीय लोग, सरकारी कर्मचारी तथा इस क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं । उल्फा काडर म्यांमार में अपने शिविरों में पहुंचने के लिए भी चांगलांग और लोहित जिलों का प्रयोग करते आ रहे हैं । उल्फा काडरों के अरुणाचल प्रदेश के लोहित, निचली दिबांग घाटी, पूर्वी और पश्चिमी सियांग जिलों में छिपने के अड्डे हैं ।

(v) मुख्यतया अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए एन वी सी) के साथ अभियानों के निलंबन (एस ओ ओ) तथा हिन्नीविटर्प

नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच एन एल सी) भूमिगत संगठनों के निष्प्रभावन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है । इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारों हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है । यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/गोलाबारूद/ विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है ।

अत:, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरूणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए ।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2009

S.O. 2824(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 vide Notification SO 916(E) dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following :—

(i) The law and order situation in the State of Assam has continued to remain grim due to violent incidents by Under Ground Outfits.

(ii) During April 2009 to September 2009, the Under Ground Outfits were involved in 225 incidents of violence in Assam which resulted in killings of 88 persons including 18 security personnel.

(iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people.

(iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations (operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The National Socialist Council of Nagaland (NSCN) factions are also involved in extortion activities in the Assam-Arunachal border areas. The targets of extortion by the outfits include the business community, local people, government officials and also PSUs operating in the area. ULFA cadres have also been using Changlang and Lohit districts to reach their camps in Myanmar. ULFA cadres have hideouts in the districts of Lohit, Lower Dibang Valley, East and West Siang of Arunachal Pradesh.

(v) The current security and law & order scenario in Meghalaya has shown some improvement mainly owing to Suspension of Operation (SoO) against cadres of Achik National Volunteer Council (ANVC) and the success of the Security Forces in neutralizing the cadres of Hynniewyterp National Liberation Council (HNLC). The region is used as an infiltration/ exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms/ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/hideouts and trans-shipment to arms/ammunition/explosive consignments.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.